फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़
मदनलाल बनाम तनवीर सिंह सिंधु तहसीलदार विराटनगर वगै0
केस संख्या ....53..... / 2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

क0 स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.08.2024	दरख्वास्तगुजार ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय तहसीलदार विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवान राज्य सरकार बनाम मदनलाल मुकदमा नम्बर 23/2024 को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय तहसीलदार विराटनगर से बिन्दुवार टिप्पणी हेतु तहरीर जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि0 नोटिस तलवान पेश करे, जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.08.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	27/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी सं0 पक्षी मोहन से ARV श्री अजितकुमार शर्मा ने जवाबदेही लेकर अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी है लेकिन उपस्थित नहीं है। वाद पेश होने जवाब दावा, वकालतनामा व तहत की टिप्पणी हेतु दिनांक 17/9/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	U.T For अगली सं. 4 बोर्ड पर 27/8/24 (अजित कुमार शर्मा) 9928955639
	17/9/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित /अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी आज अवकाश /दौरे/मिटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/10/24 को पेश हो। अप्रार्थी सं0 पक्षी मोहन की सुप्रीत कुमार शर्मा ARV ने वकालत नामा पेश किया। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	9/10/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उपस्थित से पता लगा कि प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार विराटनगर के पीठासीन अधिकारी पर न्यायपूर्ण संदेहास्पद आक्षेप यह उल्लेख मुन्तकिल का पेश किया गया है। तहत के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से अब यह मुन्तकिल प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहत को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	R 2190/24 9/10/24